उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-1
संख्या-30/2024/1063/तीस-1-2024
लखनऊ: दिनांक: 13 सितम्बर , 2024

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में सीधी भर्ती के समूह-'ख' श्रेणी के समय-समय पर रिक्त होने वाले समस्त पदों पर त्वरित समयशीलता एवं पारदर्शितायुक्त चयन किये जाने हेतु, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन विनियम) 1954 के विनियम-3ए की व्यवस्थानुसार, परिवहन निगम समूह-ख श्रेणी के सीधी भर्ती के अधिकारियों जिनकी नियुक्ति प्राधिकारी श्री राज्यपाल से भिन्न अधिकारी हैं, का उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयन/भर्ती कराये जाने हेतु एक कार्यकारी आदेश राज्य सरकार की ओर से जारी एवं तदनुसार उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अधिकारी सेवा विनियमावली, 1998 के विनियम-15 में संशोधन, किये जाने का औचित्य पाया गया है।

2- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम सेवा विनियमावली, 1998 में सीधी भर्ती से सम्बन्धित प्रक्रिया विवरण निम्नवत् है:-

(1) **समूह-'ख' श्रेणी के अधिकारियों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण-**

क्र.सं.	पदनाम	पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद	सम्यक विचारोंपरान्त नियुक्ति की प्रक्रिया
1	2	3	4	5	6
1	सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (संचालन)	रू0 15600-39100 पे मैट्रिक्स लेवल-10	5400/-	**कुल पद-110** 54 पद सीधी भर्ती द्वारा 56 पद प्रोन्नति द्वारा भरे जाने का प्राविधानहै। प्रोन्नति के पदों पर फीडिंग कैडर यातायात अधीक्षक से 33 पद, अनुभाग अधिकारी से 07 पद, सहायक संख्याधिकारी से 08 पद तथा निजी सचिव से 08 पद भरे जाते हैं।	सीधी भर्ती के 54 पदों के सापेक्ष समय-समय पर एवं वर्तमान में रिक्त-44 पदों को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है।
2	सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (तकनीकी)	रु0 15600-39100 पे मैट्रिक्स लेवल-10	5400/-	**कुल पद-67** 34 पद सीधी भर्ती द्वारा तथा 33 पद प्रोन्नति से फीडिंग कैडर सीनियर फोरमैन ग्रेड -1 द्वारा भरे जाते हैं।	सीधी भर्ती के 34 पदों के सापेक्ष समय-समय पर एवं वर्तमान में रिक्त-31 पदों को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है।

3	सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त)/ सम्परीक्षा अधिकारी	रु0 15600-39100 पे मैट्रिक्स लेवल-10	5400/-	**कुल पद-41** 21 पद सीधी भर्ती द्वारा तथा 20 पद प्रोन्नति से फीडिंग कैडर सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारी द्वारा भरे जाते हैं।	सीधी भर्ती के 21 पदों के सापेक्ष समय-समय पर एवं वर्तमान में रिक्त-20 पदों को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है।
4	सहायक अभियन्ता	रु0 15600-39100 पे मैट्रिक्स लेवल-10	5400/-	**कुल पद-09** 04 पद सीधी भर्ती द्वारा तथा 05 पद प्रोन्नति से फीडिंग कैडर अवर अभियन्ता द्वारा भरे जाते हैं	सीधी भर्ती के समय-समय पर एवं वर्तमान में रिक्त-04 पदों को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है।
5	सहायक विधि अधिकारी	रु0 9300-34800 पे मैट्रिक्स लेवल-07	4600/-	**कुल पद-17** 12 पद सीधी भर्ती द्वारा तथा 05 पद प्रोन्नति से फीडिंग कैडर विधि सहायक द्वारा भरे जाते हैं	सीधी भर्ती के 12 पदों के सापेक्ष समय-समय पर एवं वर्तमान में रिक्त-11 पदों को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है।

(2) सीधी भर्ती हेतु अनुमोदित प्रक्रिया-

क्र0सं0	भर्ती का स्रोत/संबंधी विनियम	सम्यक विचारोपरान्त चयन की प्रक्रिया	पद का स्वरूप	आयु गणना
1	उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम अधिकारी सेवा विनियमावली, 1998 का विनियम-15	उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के माध्यम से	प्रशासनिक पद	सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु चयन वर्ष के प्रथम दिवस को जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जायें, इक्कीस वर्ष की हो जानी चाहिए और चालीस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये, अभ्यर्थियों की स्थिति में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

(3) विहित पद की शैक्षिक अर्हता-:

क्र0सं0	पदनाम	शैक्षिक अर्हता
1	सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (संचालन)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से व्यापार प्रबन्धन में स्नातकोत्तर उपाधि या व्यापार प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि या व्यापार प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष उपाधि या डिप्लोमा तथा देवनागरी लिपि में हिन्दी का ज्ञान आवश्यक है।
2	सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (तकनीकी)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यांत्रिकी या आटोमोबाइल्स या उत्पादन या विद्युत यांत्रिकी या यातायात या सड़क अभियांत्रिकी में उपाधि या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष उपाधि तथा देवनागरी लिपि में हिन्दी का ज्ञान आवश्यक है।
3	सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक वित्त/सम्परीक्षा अधिकारी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्थान से चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स या कास्ट्स एण्ड वर्कस एकाउन्टैन्ट्स की परीक्षा उत्तीर्ण होना या किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष उपाधि तथा देवनागरी लिपि में हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान होना आवश्यक है।
4	सहायक अभियन्ता	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में उपाधि या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष उपाधि तथा देवनागरी लिपि में हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान होना आवश्यक है।
5	सहायक विधि अधिकारी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि में उपाधि या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष उपाधि तथा देवनागरी लिपि में हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान होना आवश्यक है।

3- अत: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन विनियम)1954 के विनियम 3ए के व्यवस्थानुक्रम में, परिवहन निगम के समूह-ख श्रेणी के समय-समय पर रिक्त होने वाले सीधी भर्ती के अधिकारियों, जिनके नियुक्ति प्राधिकारी श्री राज्यपाल से भिन्न है, का चयन/भर्ती उपरोक्तानुसार उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के माध्यम से किया जायेगा।

उपरोक्त कार्यकारी आदेश मा0 मंत्रि परिषद के अनुमोदनोंपरान्त निर्गत किये जा रहे है।

ह0
एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपक्रमों/निगमों में पदों को भरे जाने के संबंधी सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों यथा शासनादेश संख्या-01मु0नं0/44-1-2012-09/2021, दिनांक 16.03.2012 एवं शासनादेश संख्या-266/44-1-2012-09-2012, दिनांक 19.03.2012 एवं अन्य शासनादेशों की व्यवस्था अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तद्नुसार उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम अधिकारी सेवा विनियमावली में भर्ती के स्रोत संबंधी विनियम एवं चयन की प्रक्रिया (Method of Recruitment) संबंधी विनियम में संशोधन किये जाने हेतु अग्रेतर नियमानुसार कार्यवाही समयान्तर्गत कराने का कष्ट करें।
4. सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
8. कार्मिक अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9. सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10. परिवहन अनुभाग-2 एवं 3, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0
के0पी0 सिंह
विशेष सचिव।